(22) 26 25

14

जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांकः– जविप्रा/लेखा(आर.सी.आर)/2015/डी– 522 दिनांक 26-7

कार्यालय आदेश

जोन–19 मे चालान से नकद जमा राशि का बैक स्टेटमेंन्ट/आर सी आर से मिलान नही किये जाने के कारण कतिपय प्रकरणो में राशि जविप्रा के खाते मे जमा नही होने पर भी पट्टे जारी हो गये है। संबधित फाईल पर इस संबध में वांछित कार्यवाही जारी है।

अतः सभी जोन उपायुक्तो को एतद् द्वारा निर्देशित किया जाता है कि पट्टा एवं अन्य स्वीकृतियाँ जारी करने से पूर्व चालान में वर्णित राशि का मिलान संबधित बैक खाते के स्टेटमेंन्ट/आर सी आर से करे। उल्लेखनीय है कि जविप्रा **Intranet** पर **Finance Application Icon** में आर सी आर रजिस्टर में एक क्लिक पर दिनांक, बैंक खाता वार (चालान बैंक स्टेटमेंन्ट से सत्यापित) रिपोर्ट उपलब्ध है। अतएव पट्टा एवं अन्य आवश्यक कार्यवाही जविप्रा जोन स्तर पर तभी सम्पादित की जावे जब जमा राशि का सत्यापन बैक स्टेटमेंन्ट/आर सी आर से हो जावे।

उक्त निर्देशो की अक्षरक्षः पालना सुनिश्चित की जावे अन्यथा संबधितों के विरूद्व आवश्यक कार्यवाही की जावेगी।

(शिखर अग्रवाल)
आयुक्त, जविप्रा

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर
3. समस्त निदेशक जविप्रा, जयपुर
4. समस्त अतिरिक्त आयुक्त ....जविप्रा, जयपुर
5. समस्त उपायुक्त जोन.........................जविप्रा, जयपुर
6. अतिरिक्त निदेशक (राजस्व एवं सम्पति निस्तारण), जविप्रा, जयपुर
7. विशेषाधिकारी (संसाधन एवं विकास)/उपनिदेशक (व्यय एवं बजट) जविप्रा, जयपुर
8. व. लेखाधिकारी (आर सी आर)/लेखाधिकारी (भुगतान), जविप्रा, जयपुर

(देवराज सिंह)
निदेशक (वित्त)

d/rcrmater/uonot adesh